राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक परिसर, अरेरा हिल्स,
भोपाल,मध्यप्रदेश

क्रं./एन.एच.एम./CHN/2019/7410 | **भोपाल, दिनांक**08/07**/**19**/2019**

प्रति,

1. **समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।**
2. **समस्त सहायक आयुक्त, आदिम ज़ाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।**
3. **समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश।**
4. **समस्त जिला परियोजना समन्वयक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश।**

विषयः—समन्वित स्वास्थ्य गतिविधि "एनिमिया मुक्त भारत रणनीति" (AMB)/"नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव" (NIPI)/"साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड अनुपूरण कार्यक्रम" (WIFS) के प्रभावीं क्रियान्वयन हेतु संयुक्त दिशा—निर्देश।

*****

विषयांतर्गत लेख है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 (NFHS-4) के अनुसार प्रदेश में लगभग 69 प्रतिशत 5 वर्ष तक की आयु के बच्चे, 52.5 प्रतिशत किशोरी बालिकायें (15 से 19 वर्ष) एवं 25.5 प्रतिशत किशोरवय बालक एनीमिया से ग्रसित हैं। विगत 10 वर्षो में प्रदेश में अधिकांश उम्र समूहों में एनिमिया के प्रतिशत की मात्रा में अत्यंत कम गिरावट दर्ज हुई है। आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के कारण विद्यार्थियों में एकाग्रता, कार्यक्षमता, मानसिक क्षमता में कमी, शाला में उपस्थिति पर विपरीत प्रभाव, थकान आदि के लक्षण संभव है।

भारत सरकार द्वारा एनिमिया की व्यापकता को प्रभावी रुप से कम करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुआयामी रणनीति **"एनिमिया मुक्त भारत"** की परिकल्पना की गई है, जिसके अंतर्गत 6 x 6 x 6 रणनीति के तहत 6 माह से 60 माह के बच्चों, 5—10 वर्षीय बच्चों, 10—19 वर्षीय बालक—बालिकाओं में आयरन फॉलिक एसिड अनुपूरण किया जा रहा हैं। उक्त रणनीति को क्रियान्वयन सघन नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव कार्यक्रम के अंतर्गत (I-NIPI) स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा आदिम जाति कल्याण विभाग के समन्वय से किया जा रहा है।

"एनिमिया मुक्त भारत" रणनीति के क्रियान्वयन के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये जाते है :—

- एनिमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत स्कूल शिक्षा के अंतर्गत पंजीकृत समस्त शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त प्राथमिक/मिडिल/हाई/हायर सेकेण्डरी शालाओं में अध्यनरत कक्षा 1 से कक्षा 12 के 5—19 वर्षीय छात्र—छात्राओं को साप्ताहिक (प्रत्येक मंगलवार को) आई.एफ.ए. गोली का अनुपूरण एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के अतंर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत 6 माह से 59 माह के बच्चो तथा 10 से 19 वर्षीय किशोरवयों में क्रमशः आई.एफ.ए. सिरप एवं गोली का अनुपूरण सुनिश्चित किया जाये।
- कक्षा 1 से कक्षा 5 एवं कक्षा 6 से कक्षा 12 के समस्त छात्र—छात्राओं को क्रमशः आई.एफ.ए. की गुलाबी गोली एवं आई.एफ.ए. की नीली गोली सप्ताह में 1 बार (प्रत्येक मंगलवार को) समस्त शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त प्राथमिक शालाओं में खिलाई जाये।
- इसी प्रकार आंगनवाड़ी केन्द्रों पर 6 माह से 59 माह के बच्चों, 5 से 10 तथा 10 से 19 वर्षीय शालात्यागी/शालाअप्रवेशी किशोरवयों को क्रमशः आई.एफ.ए. सिरप (प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार) एवं आई.एफ.ए. की गुलाबी गोली तथा आई.एफ.ए. की नीली गोली सप्ताह में 1 बार (प्रत्येक मंगलवार को) आशा कार्यकर्ता के सहयोग से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा खिलाई जाये।
- विभिन्न हितग्राही समूहों में निर्धारित मानक अनुसार आई.एफ.ए. डोज़ की प्रदायगी शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त प्राथमिक/मिडिल/हाई/हायर सेकेण्डरी शालाओं एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से निम्नानुसार किया जायेः—

क्र	आयु समूह	आई.एफ.ए. का डोज	सेवा प्रदायगी
1	6 माह से 59 माह वर्ष के बच्चें	1ml आई.एफ.ए. सिरप सप्ताह में 2 बार मंगलवार एवं शुक्रवार (20 एम.जी.एलिमेंटल आयरन एवं 0.1 एम.जी. फोलिक एसिड)	• आशा कार्यकर्ता द्वारा प्रति मंगलवार एवं शुक्रवार को आंगनवाड़ी केन्द्र पर एकत्रित हितग्राहियों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा आशा कार्यकर्ता के सहयोग से प्रदाय की जाये।
2	कक्षा 1 से कक्षा 5 के बच्चें (5 वर्ष से 9 वर्ष के बच्चे)	1आई.एफ.ए. गुलाबी गोली प्रति सप्ताह (45 एम.जी.एलिमेंटल आयरन एवं 0.4 एम.जी. फोलिक एसिड)	• प्रत्येक मंगलवार को शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त प्राथमिक शालाओं में शिक्षको के माध्यम से एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से भोजन उपरान्त प्रदाय की जाये।
3	कक्षा 6 से कक्षा 12 के किशोरवय (10 से 19 वर्ष के किशोरवय)	1आई.एफ.ए. नीली गोली प्रति सप्ताह (60 एम.जी.एलिमेंटल आयरन एवं 0.5 एम.जी. फोलिक एसिड)	• प्रत्येक मंगलवार को शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त मिडिल/हाई/हायर सेकेण्डरी शालाओं में समस्त किशोरवय बालक-बालिकाओं को शिक्षकों के माध्यम से एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से भोजन उपरान्त प्रदाय की जाये।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा आई.एफ.ए. सिरप अनुपूरण हेतु ऑटोडिस्पेन्सर के उपयोग की प्रक्रिया –

- आई.एफ.ए. सिरप (50ml) बोतल के ऊपरी भाग में लगा प्लास्टिक का कटोरी नुमा केप ऑटोडिस्पेन्सर है।
- आई.एफ.ए. सिरप बोतल से 1ml दवाई पिलाने हेतु बोतल के उपरी भाग में लगे प्लास्टिक के ऑटोडिस्पेन्सर का उपयोग करे।
- आई.एफ.ए. सिरप बोतल के ढक्कन को खोलने के पश्चात बोतल को धीमें से दबाते हुये बोतल में लगे ऑटोडिस्पेन्सर को ऊपर तक पूरा भरे।
- दबाव हटाने पर ऑटो डिस्पेंसर में केवल 1 एम.एल. आई.एफ.ए. सिरप ही शेष रहेगा जिसे ऊपर से हर हितग्राही बच्चे को पिलाया जाये।

- आई.एफ.ए.गोली के अनुपूरण के कुछ सामान्य साईड इफेक्टस (जैसे– उल्टी, जी घबराना, काली टट्टी होना, जीभ काली होना आदि) हो सकते हैं। यह आयरन अवशोषण के लक्षण है जो सीमित समय के लिये ही कुछ हितग्राहियों में दिखाई देते है।
- **गंभीर कमजोरी (बुखार, डायरिया, निमोनिया आदि), अति गंभीर कुपोषण, हीमोग्लोबिनोपैथी/बार–बार ब्लड ट्रान्सफ्यूजन के इतिहास की स्थिति में आयरन अनुपूरण न किया जावे एवं उपयुक्त उपचार हेतु समझाइश दी जाये।**
- बारिश के मौसम के पहले और बाद में विद्यालय/आंगनवाडी परिसर/आवासीय क्षेत्रों में एन.वी.बी.डी.सी.पी. के दिशानिर्देशानुरूप उचित कीटनाशक का इंडोर रेसीडुअल छिडकाव व उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
- ज्ञातव्य हो कि Soil Transmitted Helminthiasis (STH) प्रीवलेन्स सर्वेक्षण अनुसार प्रदेश में वर्म लोड मात्र 20 प्रतिशत से कम है तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसार 20 प्रतिशत से कम वर्म लोड होने पर कृमिनाशक गोली (एल्बेन्डाज़ोल–Chewable 400mg) वर्ष में 1 बार निश्चित दिवस–नेशनल डिवर्मिंग डे के अन्तर्गत शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त/अशासकीय/अशासकीय अनुदान प्राप्त, केन्द्रीय शालाओं के माध्यम से कराया जाये।

- स्वास्थ्य विभाग उपरोक्त एनिमिया मुक्त भारत/निपी/विफ्स कार्यक्रम के संचालन हेतु नोडल विभाग है अतएव हितग्राही समूहों के लिये आवश्यक आई.एफ.ए. सिरप, गुलाबी, नीली गोलियों का क्रय एवं निर्बाद्ध उपलब्धता, अनुपूरण की निगरानी तथा समय–सीमा में शिक्षा विभाग के समन्वय से रिपोर्टिंग प्राप्त करने हेतु उत्तरदायी है।
- औषधि प्रकोष्ठ द्वारा आई.एफ.ए. सीरप एवं आई.एफ.ए. गोलियों के उपार्जन हेतु निम्न L1 प्रदायकर्ता से क्रय अनुबंध निम्नानुसार किया गया है :–

Old FMR Code/ Drug Code	New FMR Code/ Drug Code	Name of Drug	Unit	Approved Rate (In Rs.)	Supplier Name	Contract Validity
B.16.2.6.1/ 110410/ (EDL.0410)	6.2.2.3/ 110410/ (EDL.0410)	Iron Folic Acid Syrup – 50 ml bottle with dropper Each 1 ml contain 20mg elemental iron and 100mcg folic acid IP	50 ml Bottle	7.90+12%GST =8.84/-	Nestor Pharma. Pvt. Ltd.	Sep 2019
B.16.2.6.2/ 700408/ (EDL .0409)	6.2.2.5/ 700408/ (EDL .0409)	WIFS Junior Iron Folic Acid Sugar coated Pink Tablet – 10 X 10 Strip. Ferrous Sulphate IP equivalent to 45 mg elemental iron and 400mcg folic acid IP	10X10 Strip	12.14+12%GST =13.55/-	Nestor Pharma. Pvt. Ltd.	Nov 2019
B.16.2.6.3/ 471 0394/ (EDL.0407)	6.2.4.1/ 471 0394/ (EDL.0407)	WIFS - Iron Folic Acid enteric coated Blue Tablet – 10 X 10 Strip. Ferrous Sulphate IP equivalent to 100 mg elemental iron and 500mcg folic acid IP	10X10 Strip	11.89+12%GST =13.32	Bochem Healthcare Pvt. Ltd.	Aug 2019

एनिमिया मुक्त भारत रणनीति में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग का दायित्व :–

स्वास्थ्य विभाग	शिक्षा विभाग	महिला एवं बाल विकास विभाग
• जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर गठित निपी विफ्स एडवाईजरी कमेटी द्वारा प्रतिमाह कलेक्टर की अध्यक्षता में समस्त स्टेकहोल्डर की उपस्थिति में एनिमिया मुक्त भारत/नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। • **वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2019–20 में प्राथमिक/मिडिल/हाई एवं हायर सेकेण्डरी शालाओं के शिक्षकों, आशा एवं ऑगनवाडी कार्यकर्ताओ के उन्मुखीकरण हेतु 1 दिवसीय प्रशिक्षण के आयोजन हेतु स्वीकृति दी गई है। उक्त प्रशिक्षण राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के पूर्व 15 जुलाई से 30 जुलाई तक आवश्यक रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।** • 6–59 माह के बच्चों एवं 5–10 वर्षीय बच्चों एवं 10–19 वर्षीय किशोरवयों में आई.एफ.ए. अनुपूरण संबंधी सूचकांक सम्मिलित है, अतः जिलों द्वारा "एनिमिया मुक्त भारत प्रतिवेदन प्रपत्र" (परिशिष्ट – 3) के अनुसार निर्धारित सूचकांको के अंतर्गत आई.एफ.ए. अनुपूरण की सही व सटीक जानकारी का इन्द्राजीकरण जिला एच.एम.आई.एस.पोर्टल में प्रतिमाह इंद्राज करना सुनिश्चित किया जाये। • जिला स्तर पर उक्त इन्द्राजीकरण हेतु जिला मोनिटरिंग एवं इवेल्यूवेशन अधिकारी जवाबदेय होंगे।	• राज्य स्तर पर शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठको में एनिमिया मुक्त भारत/नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव कार्यक्रम की समीक्षा की जावे एवं जिला स्तर पर भी विभाग के अधिकारियों की अन्तर्विभागीय मासिक बैठकों में कार्यक्रम के संबंध में समीक्षा की जाये। • एनिमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के अंतर्गत आई.एफ.ए. अनुपूरण एवं कृमिनाशन विषय के सत्र को शिक्षा विभाग के प्रशिक्षण मोड्यूल में समावेशित किया जाये तथा शिक्षा अधिकारियों, परियोजना समन्वयकों एवं शिक्षकों को कार्यक्रम के संबंध में उन्मुख किया जाये। • **स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों में शिक्षकों की शतप्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की जाये।** • **आयरन अनुपूरण के संकलन हेतु कार्य सुविधा की दृष्टि से रिर्पोटिंग प्रणाली को सरलीकृत किया गया है। शिक्षकों द्वारा उपस्थिति पंजी में ही मंगलवार को उपस्थित विद्यार्थियों में आई.एफ.ए. अनुपूरण के पश्चात हरे स्कैच पैन से सही (✓) का निशान बनाकर अनुपूरण चिन्हांकित किया जाये। तद्पश्चात माह में सिर्फ एक बार प्रदायित रिर्पोटिंग प्रपत्र में कुल हरे सही (✓) निशानों की संख्या गिनकर आई.एफ.ए. अनुपूरण की जानकारी इन्द्राज की जाये। यदि किसी कारणवश जैसे शासकीय अवकाश अथवा विद्यार्थी की**	• राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठको में एनिमिया मुक्त भारत/नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव कार्यक्रम की समीक्षा की जावे एवं जिला स्तर पर भी विभाग के अधिकारियों की अन्तर्विभागीय मासिक बैठकों में कार्यक्रम के संबंध में समीक्षा की जाये। • अनिमिया मुक्त भारत/निपी कार्यक्रम के अंतर्गत आई.एफ.ए. अनपूरण एवं कृमिनाशन विषय के सत्र को महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रशिक्षण मोड्यूल में समावेशित किया जाये तथा परियोजना अधिकारियों, पर्यवेक्षको एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम के संबंध में उन्मुख किया जाये। • **स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों में शिक्षकों की शतप्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की जाये।** • **आंगनवाडी कार्यकर्ता द्वारा ग्राम के समस्त पंजीकृत 6–59 माह के बच्चों, 5–10 वर्षीय एवं 10–19 वर्षीय किशोरवयों की नामजद जानकारी हेतु उपस्थिति पंजी बनाई जावे एवं प्रति मंगलवार/शुक्रवार को बच्चे के आई.एफ.ए सीरप अनुपूरण एवं प्रति मंगलवार आई.एफ.ए गुलाबी गोली एवं आई.एफ.ए नीली गोली के अनुपूरण के बाद हरे स्कैच पैन से सही (✓) का निशान बनाकर चिन्हाकित किया जाये। तद्पश्चात माह में सिर्फ एक बार प्रदायित रिर्पोटिंग प्रपत्र में कुल हरे सही (✓) निशानों की संख्या गिनकर आई.एफ.ए. अनुपूरण की जानकारी इन्द्राज की जाये।** • **यदि किसी कारणवश जैसे शासकीय अवकाश अथवा लाभार्थी के अनुपस्थिति के कारण मंगलवार या शुक्रवार को आई.एफ.ए. अनुपूरण नहीं किया जा सका हो तो आगामी दिवस पर (बुधवार**

• औषधियों की निर्वाध उपलब्धता, आई.एफ.ए. अनुपूरण एवं समय–सीमा में रिर्पोटिंग हेतु समस्त आशा कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह मासिक बैठकों में उन्मुख किया जाना सुनिश्चित किया जाये। साथ ही आशा द्वारा प्राप्त रिर्पोट के संकलन हेतु आशा सहयोगिनीयो को प्रपत्र (परिशिष्ट – 2) विकासखंड स्तर से स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदान किये जाये। • एनिमिया मुक्त भारत रणनीति/निपी कार्यक्रम के अन्तर्गत आयरन अनुपूरण के उपरान्त किसी भी अप्रिय लक्षण के उपचार हेतु फर्स्ट एड किट में आवश्यक औषधियों का 1 किट, जिसमें उल्टी, पेट दर्द, ओ.आर.एस. घोल के पैकेट, एन्टी एलर्जिक गोलियों के 5 पैकेट/10 X 10 Strip की व्यवस्था भी समस्त आंगनवाडी केन्द्रों में सेक्टर मेडिकल ऑफिसर/ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर द्वारा सुनिश्चित की जाये। • **शालाओं हेतु रिपोर्टिंग प्रपत्र के रजिस्टर एवं स्टीकर्स, स्वास्थ्य विभाग द्वारा शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं में उपलब्ध कराये जाये।**	**अनुपस्थिति के कारण मंगलवार को आई.एफ.ए. अनुपूरण नहीं किया जा सका हो तो आगामी दिवस पर (बुधवार) आई.एफ.ए. अनुपूरण सुनिश्चित करें एवं हरे स्कैच पैन से चिन्हाकित किया जाये।** • **ग्रीष्म/शीतकालीन अवकाश के दौरान कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के छात्र–छात्राओं को आई.एफ.ए अनुपूरण सुनिश्चित किया जाये। इस हेतु पंजीकृत ब्रालक–बालिकाओं की संख्या एवं सप्ताह की गणना कर समस्त बच्चों को घर पर साप्ताहिक सेवन हेतु आई.एफ.ए की एक स्ट्रिप प्रति बच्चे के मान से दी जाये।** • स्कूलों में आई.एफ.ए. गुलाबी गोलियों/आई.एफ.ए. नीली गोलियों के सुरक्षित रख रखाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। • शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं में पोषण स्वास्थ्य शिक्षा सत्रों का आयोजन किया जाये जिससे व्यवहार परिवर्तन एवं सामुदायिक जागरूकता द्वारा एनीमिया एवं कृमि संक्रमण की रोकथाम की जा सके।	**या शनिवार) को आई.एफ.ए. अनुपूरण सुनिश्चित करें एवं हरे स्कैच पैन से चिन्हाकित किया जाये।** • **यदि लाभार्थी कही बाहर जा रहा है तो लाभार्थी की संख्या एवं सप्ताह की गणना कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा आवश्यक आई.एफ.ए. सीरप/गुलाबी गोलियॉ/नीली गोलियॉ दिया जाना सुनिश्चित किया जाये।** • आंगनवाड़ी केन्द्रों में आई.एफ.ए. सीरप/आई.एफ.ए. गुलाबी गोलियो/आई.एफ.ए. नीली गोलियों के सुरक्षित रख रखाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। • आंगनवाडी केन्द्रो में पोषण स्वास्थ्य शिक्षा सत्रों का आयोजन किया जावे जिससे व्यवहार परिवर्तन एवं सामुदायिक जागरूकता द्वारा एनीमिया एवं कृमि संक्रमण की रोकथाम की जा सके।

- शिक्षकों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा गोली देने से पूर्व निम्न बातों को विद्यार्थियों एवं अभिभावको को अवश्य बतायें:–
  1. **आई.एफ.ए. की गोली का सेवन खाली पेट नहीं करना चाहिए।**
  2. **आई.एफ.ए. की गोली पानी से निगलना चाहिए।**
  3. **किसी भी प्रकार की बीमारी होने पर आई.एफ.ए. की गोली का सेवन नहीं करना चाहिए।**

4. उल्टी, जी घबराना, काली टट्टी होना, जीभ काली होना आदि होने पर घबराना नहीं चाहिए यह आयरन अवशोषण के लक्षण है जो सीमित समय के लिये है।
5. नेशनल डिवर्मिंग डे के अंतर्गत एलवेन्डाज़ोल की मीठी गोली का सेवन चबाकर करना चाहिए।
6. आई.एफ.ए. एक बहुत ही सुरक्षित गोली है जिसके नियमित सेवन से, बच्चा निरोगी रहेगा एवं स्कूल में प्रदर्शन बेहतर होगा।

- कार्यक्रम के क्रियान्वयन में संभाग एवं जिला स्तर पर पदस्थ डेवल्पमेन्ट पार्टनर्स, (यूनिसेफ, एन.आई, CHAI एवं डीवर्म द वर्ल्ड इनिशिएटिव) के प्रतिनिधियों का तकनीकी सहयोग लिया जाये।
- उपरोक्त दिशा–निर्देशानुसार जिले में एनिमिया मुक्त भारत कार्यक्रम/नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव (NIPI) एवं साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड अनुपूरण (WIFS) कार्यक्रम का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

छवि भारद्वाज	आइरिन सिंथिया जे.पी.	जयश्री कियावत	दीपाली रस्तोगी
मिशन संचालक	संचालक	आयुक्त	आयुक्त
एन.एच.एम,म.प्र.	राज्य शिक्षा केन्द्र,म.प्र.	लोक शिक्षण संचालनालय,म.प्र.	आदिम जाति कल्याण विभाग,मप्र.

क्र./एन.एच.एम./CHN/2019/7411 भोपाल, दिनांक 08/07/2019

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, म.प्र.।
2. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन, मध्यप्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, वात्सल्य भवन, मध्यप्रदेश।
4. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,म.प्र.।
5. अपर मिशन संचालक, एन.एच.एम. म.प्र.।
6. उपसंचालक, आशा, एन.एच.एम., म.प्र.।
7. उपसंचालक, आर.बी.एस.के, एन.एच.एम., म.प्र.।
8. उपसंचालक, आर.के.एस.के, एन.एच.एम., म.प्र.।
9. उपसंचालक, एन.वी.बी.डी.सी.पी, एन.एच.एम., म.प्र.।
10. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, म.प्र.।
11. समस्त जिला टीकाकरण अधिकारी, म.प्र.।
12. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम., म.प्र.।
13. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम समन्वयक, शहडोल, मण्डला,छतरपुर,बड़वानी,सतना,पन्ना,डिन्डौरी, झाबुआ,उमारिया,सिंगरौली,अलीराजपुर, मध्यप्रदेश।
14. पोषण विशेषज्ञ, यूनिसेफ, मध्यप्रदेश।
15. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, न्यूट्रीशन इन्टरनेशनल, मध्यप्रदेश।
16. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक CHAI मध्यप्रदेश।
17. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, डीवर्म द वर्ल्ड इनिशिएटिव, मध्यप्रदेश।

मिशन संचालक	संचालक	आयुक्त	आयुक्त
एन.एच.एम, म.प्र.	राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र.	लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र.	आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र.